Representations for protection to beedi/fobacco se:tor labourers 111 Tamil nadu

2577. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Givernment have received representations to protect beed and tobacco sec or labourers from unemployment due to restrictions imposed thereon;

(b) if so, the details of such restriction;

tc) how Government would frame re-employment scheme for Tarn 1 Nadu beedi and tobacco sector labourers;

(d) the details of measur.-s to prelect empfoymenl in Tamif .Vaiiu;

(e) whether Government have evinced any interest in studying the impact of anti-tobac:o and anti-beei'.i legislation on employment: and

(fl the reasons tor not having an acti*« employment policy for the sector?

THE MtNISTER OF STATE OF THE M/NmRy OF LABOUR (SHRI M I RIM)RA KUMAR, (f,)Goemmrnt bate ric i ,d f: *m* at appre- ner«lr»l adverv of certain pro- to discourage and 'm the res- c m- noctlon are not for bannine use or sale of nasccnbet , on arcess and disposal

we aae nam* there movies of teh of Minister and being, Unken into account while finalising the proposed measures.

फैक्टरी मालिकों के साथ निरीक्षकों की सांठ-गांठ

2578. श्री देश दत्त यादव :
श्री नागमणि :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फैक्टरी मालिकों के साथ निरीक्षकों की मिली भगत के कारण फैक्टरियों ने प्रॉविडेंट फंड के अंशदान को समय पर जमा नहीं किया है जिसके कारण श्रमिकों को कई प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्योरा क्या है और अंशदान की राशि का राज्य-वार ब्योरा क्या है जिसे समय पर जमा कराने में चूक हुई है ; और

(ग) निरीक्षकों की भूमिका पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या वे मिल मालिकों के पक्ष में कार्य कर रहे हैं और कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ भोज कुवार):(क) से (ग) कुछ नियोजक कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार अपने अंश को जमा कराने में चूक करते हैं। 31.3.1986 की स्थिति के अनुसार ऐसी चूकों का क्षेत्र वार ब्योरा विवरण के रूप में संलग्न है । (नीचे देखिए) नियोजकों द्वारा इन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहने पर उनके विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। जिन मामलों में भविष्य निधि संगठन के निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों को ऐसे चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध पर्याप्त कार्यवाई न करने अथवा

किसी अन्य तरीके से उनके सांठ-गांठ का दोषी पाया जाता है, ऐसे उपचारी (भ्रष्ट) कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कारवाई की जाती है ।

विवरण

क्षेत्र	31-3-96 की स्थिति के अनुसार चूककर्ताओं की संख्या	क०भ० निधि की बकाया राशि (रु० लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	743	1374.01
बिहार	1349	940.57
दिल्ली	500	2266.09
गुजरात	209	943.06
हरियाणा	525	2173.24
कर्नाटक	424	739.26
केरल	464	530.15
मध्य प्रदेश	505	2007.04
महाराष्ट्र	893	2902.70
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	124	270.00
उड़ीसा	275	400.47
पंजाब	1139	1187.09
राजस्थान	577	625.72
तमिलनाडु	1281	1466.13
उत्तर प्रदेश	1458	4526.07
प० बंगाल	1216	13974.12

R^plv 10 Liters from M.Ps.

SHRI GYAN RANJAN- Will PRIMS MINISTER be pleased to lUie**;**

(c) whether the,e are guidelines reply.ng to letters from Members PwUamnet rega ding various •tapment scheme and MPLADS of Centrai/Suite Govci ' so, the details thereof;

(b) the number of cases where reply in to the letters o M.P s have been given by these Officers;

(c) whether the Deputy Commissioner, Ranchi doe, not send replies to the letters of M.Ps/M.L.As; if so, the reasons therefor; and

(d) whether any action has been aken or is proposed to be taken against Officers who have flouted guidelines; if so. details thereof

THE MINISTER Or STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S R BALASUBRAMONTYAN): Guidelines exist is* the Central